न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 267/2016/223 आर टी ए

अमरजीतकौर पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 34 एसटीजी (19 पीबीएन–बी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. बख्तावरसिंह पुत्र कर्मसिंह जाति रायसिख निवासी 34 एसटीजी तहसील पीलीबंगा हाल आबाद 61 Morton way, Bramption, Ontario, Canada, postal code L6Y2P4 ।
2. हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0 सं. 53/2012 अनवानी बख्तावरसिंह बनाम अमरजीतकौर

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश मोदी अधिवक्ता अपीलांट

श्री धीरसिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–30.08.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया जिसमे प्रतिवादिया अपीलांट ने उपस्थित होकर अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया और दावा का पूरा विरोध किया। पत्रावली मे तारीख पेशी 20.11.14 तनकीयात के लिए निश्चित थी परन्तु उस दिन पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने के कारण तनकीयात नही बनाई गई। दिनांक 20.03.15 को दावा मे राजेन्द्रसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसका वकील वादी द्वारा दिनांक 03.12.15 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आगामी पेश दिनांक 31.12.15 बहस प्रार्थना पत्र के लिए निश्चित की गई। दिनांक 31.03.16 को बहस प्रार्थना पत्र के लिए

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

आगामी तारीख पेश दिनांक 21.04.16 निश्चित की गई। दिनांक 21.04.16 को पत्रावली मे कोई फर्दअहकाम नही लिया गया एवं दिनांक 19.05.16 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प प्रेमपुरा मे ले जाकर पक्षकारान की अनुपस्थिति मे एवं पक्षकारान की सहमति के बिना दावा निर्णय कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा मे दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात बनानी आवश्यक थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। दावा मे राजेन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की बहस सुनी जानी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान पर कोई गौर नही किया प्रार्थना पत्र पर बहस सुन कर उसका निर्णय करना आवश्यक था। न्याय आपके द्वार मे उन्ही प्रकरणो का निर्णय किया जाना था जिसमे पक्षकारान सहमत होकर राजीनामा पेश करें। इस प्रकरण मे पक्षकारान उपस्थित ही नही हुए तथा कोई राजीनामा पेश नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। ऐसे निर्णय व डिक्री को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए मियाद की कोई समय सीमा नही होती। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे पक्षकारान की अनुपस्थिति दर्ज की है ऐसी स्थिति मे दावा अदम हाजरी मे खारिज किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय मे प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का कोई हवाला नही दिया तथा तनकीयात कायम करने एवं साक्ष्य की बाबत कोई जिक्र तक नही किया है। अधिवक्ता अपीलांटा ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.17 राजस्व लोक अदालत मे अपीलांट एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे पारित की गई है। दावा मे अपीलांटा को दिनांक 21.04.16 के बाद कोई तारीख पेशी नही दी गई। कहा गया कि राजस्व अभियान के बाद पेशी का पता करना। राजस्व अभियान के बाद अपीलांटा ने पेशी का पता लगाय तो पता नही चला। दिनांक 29.09.2016 को अपीलांटा के वकील हनुमानगढ़ से पीलीबंगा आये और उन्होने दावा मे पेशी का पता किया तो पता चला कि दावा मे दिनांक 19.05.16 को राजस्व अभियान कैम्प प्रेमपुरा मे प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई तथा विभाजन प्रस्ताव के लिए पेशी 30.09.16 है। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम को डिक्री किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संयुक्त खाते मे दर्ज भूमि हेतु घोषणा एवं खाता विभाजन बाबत दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। जिसमे प्रतिवादिया सं. 1/अपीलांटा उपस्थित होकर जबावदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विवादित भूमि के खाता विभाजन हेतु दावा मे प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश दिया गया है जो सही है। प्राथमिक डिक्री की पालना मे मौका कमीश्नर की रिपोर्ट के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मौका कब्जा काश्त एवं अच्छी मंदी के हिसाब से आने उपरांत समस्त स्थिति साफ हो जायेगी। जहां तक अपीलांटा का तर्क है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटा व अपीलांट की अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे पारित की गई है कतई गलत व असत्य है। अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की उपस्थिति मे पारित की गई है तथा अपीलांटा की ओर से श्री ओमप्रकाश मोदी की उपस्थिति मे दर्शाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत मे दावा प्राथमिक डिक्री किया गया ना की अन्तिम डिक्री किया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अन्तिम निर्णय होना अभी शेष है। अपीलांटा ने बिना किसी आधार के अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया है तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी बहस हेतु मुकर्रर थी तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के उपरांत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के पश्चात ही मूल वाद मे कोई आगामी कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना और प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण किये बिना राजस्व लोक अदालत कैम्प मे विभाजन का दावा प्राथमिक डिक्री किया गया है। जबकि राजस्व लोक अदालत मे केवल सहमति/राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आज्ञापक है तथा विभाजन के वाद मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया

Web Copy - Not Official

जाकर प्रकरण उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण करते हुए पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.09.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official